

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 579]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2011—पौष 2, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्र. 7449-447-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३७ सन् २०११

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- ६) अधिनियम, २०११

[दिनांक २१ दिसम्बर, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक २३ दिसम्बर, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

३१ मार्च, १९९५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम .

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-६) अधिनियम, २०११ है.

३१ मार्च, १९९५ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रु. ४,०७,४५,८२,९५३ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियाँ, जिनका कुल योग चार सौ सात करोड़ पैंतालीस लाख बयासी हजार नौ सौ तिरपन रुपये होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च, १९९५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जायेगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियाँ, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए ३१ मार्च, १९९५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का क्रमांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) आधिक्य		
		मतदत्त (राशि रुपये में)	भारित (राशि रुपये में)	योग (राशि रुपये में)
लोक ऋण (वित्त विभाग)	पूँजीगत		२,२१,५७,८५,८६९	२,२१,५७,८५,८६९
०८. भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	राजस्व	१,५६,३१,३२७	०	१,५६,३१,३२७

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	४७,१७,२१,०८३	०	४७,१७,२१,०८३
		पूँजीगत	३९,०६,५६६	०	३९,०६,५६६
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	६१,८९,७५,०८२	०	६१,८९,७५,०८२
३०.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	पूँजीगत	१६,७८,९२८	०	१६,७८,९२८
३२.	जनसंपर्क	राजस्व	५१,२२,३७४	०	५१,२२,३७४
४२.	लोक निर्माण से संबंधित आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-सड़कें एवं पुल	पूँजीगत	२,३९,४२,०४४	०	२,३९,४२,०४४
४७.	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन	पूँजीगत	१,९७,८४५	०	१,९७,८४५
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	२४,१३,६४,६७०	०	२४,१३,६४,६७०
६०.	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	पूँजीगत	८८,९०,५९३	०	८८,९०,५९३
६३.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	राजस्व	२३,६८,३६०	०	२३,६८,३६०
६७.	लोक निर्माण कार्य- भवन	राजस्व	३९,१२,४१,६३७	०	३९,१२,४१,६३७
		पूँजीगत	४,७७,४४,७१६	०	४,७७,४४,७१६

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
७३.	आवास एवं पर्यावरण विभाग (वृक्षारोपण, वनीकरण, पर्यावरण एवं पड़त भूमि के विकास से संबंधित व्यय)	पूँजीगत	२,६०,११,८५९	०	२,६०,११,८५९
	योग :	{ राजस्व	१,७४,६४,२४,५३३	०	१,७४,६४,२४,५३३
		{ पूँजीगत	११,२३,७२,५५१	२,२१,५७,८५,८६९	२,३२,८१,५८,४२०
	वृहद योग :		१,८५,८७,९७,०८४	२,२१,५७,८५,८६९	४,०७,४५,८२,९५३

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्र. 7450-447-इक्कीस-अ(प्रा.)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 37, सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 37 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 6) ACT, 2011.

[Received the assent of the Governor on the 21st December, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 23rd December, 2011.]

An Act to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the consolidated fund of the State of Madhya Pradesh to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 1995 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty second Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 6) Act, 2011.

Issue of Rs. 4,07,45,82,953 out of the Consolidated fund of the State of Madhya Pradesh to meet certain excess expenditure for the year ended on 31st March, 1995.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Four hundred seven crores forty five lakhs eighty two thousand nine hundred fifty three rupees shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent on defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the said Schedule during the financial year ended on the 31st day of March, 1995 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Appropriation.

3. The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh under this Act, shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year ended on the 31st day of March, 1995.

THE SCHEDULE
(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purpose	(3) Excess			
		Voted	Charged	Total	
		(Amt. in Rs.)	(Amt. in Rs.)	(Amt. in Rs.)	
	Finance (Public Debt)	Capital	0	2,21,57,85,869	2,21,57,85,869
08.	Land Revenue and District Administration	Revenue	1,56,31,327	0	1,56,31,327
20.	Public Health Engineering	Revenue	47,17,21,083	0	47,17,21,083
		Capital	39,06,566	0	39,06,566
24.	Public Work-Roads and Bridge.	Revenue	61,89,75,082	0	61,89,75,082
30.	Panchayat and Development	Capital	16,78,928	0	16,78,928
32.	Public Relation	Revenue	51,22,374	0	51,22,374
42.	Public Work R & B relation Tribal Areas sub-plan.	Capital	2,39,42,044	0	2,39,42,044
47.	Man-power Planning Department and Technical Education.	Capital	1,97,845	0	1,97,845
58.	Exp. on Relief on Account of Natural Calamities and Scarcity	Revenue	24,13,64,670	0	24,13,64,670
60.	Exp. Pertaining to District Plan Scheme.	Capital	88,90,593	0	88,90,593
63.	Externally Aided Project Pertaining to Public Health Engineering.	Revenue	23,68,360	0	23,68,360
67.	Public Works-Buildings	Revenue	39,12,41,637	0	39,12,41,637
		Capital	4,77,44,716	0	4,77,44,716
73.	Exp. pertaining to Plantation, Environment and Development of waste lands.	Capital	2,60,11,859	0	2,60,11,859
		Revenue . .	1,74,64,24,533	0	1,74,64,24,533
		Capital . .	11,23,72,551	2,21,57,85,869	2,32,81,58,420
		Grand Total . .	1,85,87,97,084	-	4,07,45,82,953